भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1739
दिनांक 10 फरवरी, 2026 / 21 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

अग्निशमन कर्मियों के लिए प्रशिक्षण

†1739. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर अग्निशमन सेवाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए कोई योजना शुरू की है, इनके वित्तपोषण का तरीका और वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और एसडीआरएफ कर्मियों सहित अग्निशमन कर्मियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए कोई योजना विद्यमान है जिसमें विगत पांच वर्षों के दौरान निधियां आवंटित, जारी और उपयोग की गई हैं और इनमें प्रशिक्षित कार्मिकों की वर्ष-वार और राज्य/एसडीआरएफ-वार संख्या कितनी है;
(ग) देश में अग्निशमन कर्मियों के पदों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने आग पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कोई नीति बनाई है, यदि हां, तो कुल कितना मुआवजा दिया गया है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और
(ङ) राज्य और स्थानीय स्तरों पर निरंतर अनुपालन, निगरानी और आपदा तैयारियों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ख): अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पहचानते हुए, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश की। इसलिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 04.07.2023 को "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना" शुरू की है।

योजना के तहत, संबंधित राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्यों के संसाधनों से परियोजनाओं/प्रस्तावों की कुल लागत का 25% (उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों को छोड़कर, जो 10% योगदान देंगे) योगदान करती हैं। योजना के तहत, राज्य सरकारें नए फायर स्टेशन स्थापना, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और दमकलकर्मियों, स्वयंसेवकों और समुदाय के क्षमता-निर्माण, और आधुनिक अग्निशमन उपकरण खरीदकर अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण और राज्य मुख्यालयों और शहरी फायर स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण द्वारा अग्निशमन सेवाओं का विस्तार कर रही हैं। इस योजना के तहत, कुल आवंटित धनराशि का 5% राज्य प्रशिक्षण केंद्रों के सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है।

केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए सभी अट्ठाईस (28) राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण से संबंधित परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। दिनांक 31.01.2026 तक, राज्यों को कुल 1798.20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत स्वीकृत और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय (एनएफएससी), नागपुर उप-अग्निशमन अधिकारियों, स्टेशन अधिकारियों और प्रभागीय अधिकारियों के लिए अग्निशमन और बचाव आदि की उन्नत तकनीकों में नियमित प्रशिक्षण का आयोजन करता है। महाविद्यालय एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त और आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध अग्निशमन अभियांत्रिकी विज्ञान में चार वर्षीय बी.टेक डिग्री कार्यक्रम भी संचालित करता है। एनएफएससी, नागपुर ने पिछले पांच वर्षों में 4049 अग्निशमन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है और 329 बी.टेक इंजीनियर तैयार किए हैं।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), नागपुर सशस्त्र बलों, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षकों और होमगार्ड, अर्धसैनिक संगठनों, राज्य/नगरपालिका अग्निशमन सेवाओं के कर्मियों और औद्योगिक सुरक्षाकर्मियों के लिए "सहायक अग्निशमन पाठ्यक्रम" भी आयोजित करता है।

(ग) से (ङ): अग्निशमन सेवाएं राज्य का विषय है और इसे भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 (ब) के अंतर्गत नगरपालिका के कार्य के रूप में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार अग्निशमन कर्मियों के पदों की स्वीकृति, रिक्तियों आदि से संबंधित कोई राज्यवार आंकडे नहीं रखती है। अपने अधिकार क्षेत्र में अग्नि पीड़ितों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

आपदा तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। भारत सरकार ने अपने निरंतर प्रयासों से आपदाओं से निपटने की अपनी तैयारियों में उल्लेखनीय सुधार किया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 विकास नियोजन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हाल के वर्षों में बहु-खतरा निगरानी और तैयारी में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

***

<u>लोक सभा अता. प्र.सं.1739, दिनांक 10.02.2026</u>
अनुलग्नक

योजना के अंतर्गत स्वीकृत, प्रदान की गई केंद्रीय सहायता और जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्यों की सूची	स्वीकृत वित्तीय परिव्यय	एनडीआरएफ के अंतर्गत पी एंड सीबी निधि विंडो से केंद्रीय वित्तीय सहायता	राज्यों का आनुपातिक हिस्सा	जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	252.86	189.65	63.21	132.76
2	अरुणाचल प्रदेश	63.95	57.56	6.39	34.54
3	असम	107.47	96.74	10.73	29.02
4	बिहार	340.90	255.68	85.22	76.70
5	छत्तीसगढ	147.75	110.81	36.94	33.24
6	गोवा	42.16	31.50	10.66	31.50
7	गुजरात	339.18	254.13	85.05	76.24
8	हरियाणा	117.19	87.47	29.72	26.24
9	हिमाचल प्रदेश	65.33	58.80	6.53	41.16
10	झारखंड	147.97	110.98	36.99	33.29
11	कर्नाटक	329.90	247.43	82.47	74.23
12	केरल	162.25	121.07	41.18	36.32
13	मध्य प्रदेश	397.54	297.15	100.39	89.15
14	महाराष्ट्र	614.09	460.30	153.79	138.09
15	मणिपुर	45.00	40.50	4.50	28.35
16	मेघालय	44.37	39.94	4.43	11.98
17	मिजोरम	40.00	36.00	4.00	25.20
18	नागालैंड	40.05	36.05	4.00	36.05
19	ओडिशा	200.38	150.29	50.09	105.20
20	पंजाब	131.56	98.67	32.89	29.60
21	राजस्थान	388.94	291.71	97.23	87.51
22	सिक्किम	32.25	29.03	3.22	20.32
23	तमिलनाडु	373.27	279.95	93.32	195.97
24	तेलंगाना	190.14	142.61	47.53	99.83
25	त्रिपुरा	42.36	38.12	4.24	26.69
26	उत्तर प्रदेश	768.67	576.50	192.17	172.95
27	उत्तराखंड	78.89	71.00	7.89	21.30
28	पश्चिम बंगाल	376.76	282.57	94.19	84.77

***